36

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

## समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

## सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3798—एक/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 05—10—16 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 01/अ—70/2014—15.

.....

1.सियाराम
2.शिवचरण पुत्रगण हटीला
सभी निवासी खेरला तहसील
सबलगढ़ जिला—मुरैना म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

मांगीलाल खरे पुत्र फढुरी जाटव
निवासी अम्बेडकर कालोनी सबलगढ़
तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक अनावेदक

.....

## आदेश

(आज दिनांक 22-12-17 को पारित )

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिवकारी सबलगढ जिला मुरैना के आदेश दिनांक 05.10.16 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक मांगीलाल खरे पुत्र फद्दुरी जाटव निवासी ग्राम अम्बेडकर कालोनी सबलगढ द्वारा ग्राम खेरला की भूमि सर्वे क्रमांक 42 रकबा 3 बीघा 12 विस्वा जो कि अनावेदक की भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है, को आवेदकगणों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, कब्जा हटाने बावत आवेदन पत्र नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण नायब तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ के द्वारा 5.10.16 के अनुसार सिविल जेल की कार्यवाही हेतु गिरफ्तारी वारंट जारी के आदेश दिये इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ जिला मुरैना ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है। इस न्यायालय के अभिनिर्धारण जिसका उल्लेख विवादित आदेश में किया गया है, का अर्थ सही नहीं समझा गया है। उनके द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न माननीय दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है, तब धारा 250 भू–राजस्व संहिता के अधीन प्रकरण में कार्यवाही की जाना न्यायोचित नहीं है। प्रकरण के तथ्यों की भिन्नता के आधार पर वरिष्ठ न्यायालय के प्रतिपादित न्याय सिद्वांत को मानने से इंकार किया जाना न्यायिक विवेक का सही प्रयोग नहीं माना जा सकता ऐसी स्थिति में विवादित आदेश निरस्ती योग्य है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 4.10.16 में जिन आपत्तियों का उल्लेख किया था उन पर समुचित विचार नहीं किया गया है। उनके द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 5.10.16 निरस्त किया जाकर आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

4– अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ का आदेश दिनांक 5.10.16 उचित है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्व में अवसर दिया गया था और अतिक्रामक मानकर 15 दिवस के लिये सिविल जेल भेजा। सिविल वाद में वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार की स्थगन की कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ जिला मुरैना का आदेश दिनांक 5.10.16 उचित होने से स्थर रखे जाने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 01/अ–70/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 5.10.16 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर